

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

एस0 के0 शतपथी,
प्रधान सचिव।

सेवा में,

मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची/दुमका ;
संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी;
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांक : 16-3-13

विषय :- मॉग संख्या-50-लघु सिंचाई विभाग के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष-4702-लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय, लघु शीर्ष-796-जन-जातीय क्षेत्रीय उपयोजना, उप शीर्ष-28-लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण (ए.आई.बी.पी.), विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण 45 मुख्य निर्माण कार्य, विपत्र कोड-50P470200796280545 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012-13 में व्यय हेतु निधि का आवंटन।


महाशय,


वित्तीय वर्ष 2012-13 में व्यय हेतु बजट मुख्य शीर्ष 4702-लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय के अंतर्गत परिशिष्ट-1 में दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालयों को आवंटन संसूचित किया जाता है :-

क्र०	मॉग संख्या/मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष/उप शीर्ष	विस्तृत शीर्ष/विपत्र कोड	आवंटित राशि (लाख रु. में)
1	2	3	4	5
1.	50-लघु सिंचाई विभाग /4702-लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	796-जन जातीय क्षेत्रीय उपयोजना / 28-लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण (ए.आई.बी.पी.),	05-निर्माण 45 मुख्य निर्माण कार्य / 50P470200796280545	526.500


आवंटित राशि – ₹ पाँच करोड़ छबीस लाख पचास हजार मात्र।

- आवंटित राशि वर्ष 2012-13 के बजट उपबंध ₹ 1600.00 लाख (₹ सोलह करोड़) मात्र के अंतर्गत है।
- आवंटित राशि के निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि. (2) दिनांक 17.04.98 एवं 1800 (वि.) दि. 15.07.2003 के आलोक में होगा।
- आवंटित राशि का व्यय प्रशासनिक स्वीकृति एवं तकनीकी स्वीकृति के अंतर्गत परिशिष्ट 1 पर वर्णित कार्यों के अनुरूप किया जायेगा।
- संबंधित मुख्य अभियंता एवं संबंधित अधीक्षण अभियंता योजनाओं की भौतिक एवं वित्तीय समीक्षा करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि व्यय निर्धारित नियमों के अनुरूप हो।
- राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।


(ओंकार नाथ)
सहायक अभियंता


(जयप्रकाश भट्टाचार्या)
उप सचिव (अभि.)


(सुबोध कुमार सिन्हा)
संयुक्त सचिव (अभि.)


(बी. सी. निगम)
विशेष सचिव

7. सरकारी नियम/अधिनियम यथा वन अधिनियम 1980 आदि का उल्लंघन नहीं हो यह सुनिश्चित किया जाय।
8. राशि की निकासी कर उसे चालू/बचत खाता में नहीं रखा जाय।
9. आवंटित राशि से दायित्व का भुगतान या अन्य मद में व्यय बिना अनुमति के नहीं किया जाय।
10. जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उसी शीर्ष के अंतर्गत भारित करेंगे। प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो, अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जवाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
11. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
12. AIBP योजनाओं के लिए MOU में भारत सरकार द्वारा अंकित शर्तों से संबंधित सभी अनुदेशों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। साथ ही तत्संबंधी प्रतिवेदन विभाग को ससमय उपलब्ध कराया जाय।
13. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार रॉंची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
14. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यर्पण 28 मार्च 2013 तक निश्चित रूप से कर देंगे।

नोट : यह आवंटनादेश जल संसाधन विभाग के वेब साईट (<http://www.wrdjharkhand.nic.in>) पर भी उपलब्ध है।

अनु. :- यथोक्त

(एस0 के0 शतपथी)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :-

230

रॉंची, दिनांक :- 16-3-13

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (लेखा एवं हक.) झारखण्ड पो. - हिनू, रॉंची/कोषागार पदाधिकारी, रॉंची/डोरण्डा/दुमका/सरायकेला-खरसौवा/जमशेदपुर/खूँटी/लोहरदगा सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु. :- यथोक्त

(एस0 के0 शतपथी)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :-

230

रॉंची, दिनांक :- 16-3-13

प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/योजना एवं विकास विभाग/आंतरिक वित्तीय सलाहकार जल संसाधन विभाग/अभियंता प्रमुख -I एवं II जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो०) रॉंची/विशेष सचिव जल संसाधन विभाग/संयुक्त सचिव (अभि.)/उप सचिव (अभि.) जल संसाधन विभाग को पॉंच प्रति/प्रशाखा-7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/सांख्यिकी पदाधिकारी जल संसाधन विभाग/ प्रधान सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, रॉंची/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु. :- यथोक्त

(ओंकार नाथ)
सहायक अभियंता

(जयप्रकाश भट्टाचार्या)
उप सचिव (अभि.)

(सुबोध कुमार सिन्हा)
संयुक्त सचिव (अभि.)

(बी. सी. निगम)
विशेष सचिव

(एस० के० शतपथी)
प्रधान सचिव

पत्रांक -

230

/ रॉची, दिनांक - 16-3-13

परिशिष्ट - 1

मॉग संख्या-50-लघु सिंचाई विभाग,

मुख्य शीर्ष-4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परियोजना,

लघु शीर्ष-796-जन जातीय क्षेत्रीय उपयोगना,

उपशीर्ष-28-लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण (ए.आई.बी.पी.)

विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण 45 मुख्य निर्माण कार्य,

विपत्र कोड-50P470200796280545

बजट उपबंध (वर्ष 2012-13) रु. 1600.00 लाख

(लाख ₹ में)

क्र.	कार्यालय का नाम	जिला	प्रखण्ड	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति का प्रसंग	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	मार्च 2012 तक का व्यय	वित्तीय वर्ष 2012-13 में आवंटन			अभ्युक्ति	
								पूर्व का आवंटन	वर्तमान आवंटन	कुल आवंटन		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
श्रृंखलाबद्ध चेकडैम का निर्माण												
1	लघु सिंचाई प्रमंडल, दुमका	दुमका	1	जामा	जिरुलिया नाला पर श्रृ.चेकडैम	47/07.03.11	188.000	0.000	0.00	200.00	200.00	
			2	शिकारीपाड़ा	ढाका नाला पर श्रृ.चेकडैम	47/07.03.11	92.299	0.000				
			3	मसलिया	बासकीडीह नाला पर श्रृ.चेकडैम	47/07.03.11	247.000	0.000				
			4	रानेश्वर	बुटवरिया नाला पर श्रृ.चेकडैम	47/07.03.11	167.070	17.760				
			5	दुमका	दुमुहानी नाला पर श्रृ.चेकडैम	47/07.03.11	179.290	36.120				
			6	जरमुंडी	पालोजोरी जोरिया पर श्रृ.चेकडैम	47/07.03.11	160.465	0.000				
			7	जरमुंडी	बीद्राजोरी जोरिया पर श्रृ.चेकडैम	47/07.03.11	125.665	0.000				
			8	सरैयाहाट	गोविन्दपुर जोरिया पर श्रृ.चेकडैम	47/07.03.11	125.665	0.000				
			9	सरैयाहाट	नावाडीह जोरिया पर श्रृ.चेकडैम	47/07.03.11	90.120	0.000				
			10	मसलिया	निझोर जोरिया नाला पर श्रृ.चेकडैम	47/07.03.11	195.140	0.000				
			11	काठीकुंड	इरो नाला पर श्रृ.चेकडैम	47/07.03.11	183.080	7.090				
			12	जामा	पहाड़पुर भरभरी नाला पर श्रृ.चेकडैम	47/07.03.11	201.000	0.000				
			13	दुमका	पोदाईडीह नाला जोरिया पर चेकडैम	47/07.03.11	50.640	0.000				
			14	रानेश्वर	कदमा नाला जोरिया पर चेकडैम	47/07.03.11	48.430	19.510				
			15	दुमका	पताईथान जोरिया नाला पर चेकडैम	47/07.03.11	48.660	0.000				
			16	दुमका	बांकेडीह जोरिया नाला पर चेकडैम	47/07.03.11	50.630	0.000				
			17	दुमका	सिंहनी जोरिया नाला पर चेकडैम	47/07.03.11	48.870	0.000				
			18	दुमका	ठाढ़ी जोरिया नाला पर चेकडैम	47/07.03.11	50.230	0.000				
			19	दुमका	भुरीसीमला जोरिया नाला पर चेकडैम	47/07.03.11	49.840	0.000				
			20	रानेश्वर	सालतल्ला जोरिया नाला पर चेकडैम	47/07.03.11	47.370	19.520				
योग						2349.464	100.000	0.000	200.000	200.000		

(ओंकार नाथ)

सहायक अभियंता

(जयप्रकाश भट्टाचार्या)

उपसांचेव (आंभे.)

(सुबोध कुमार सिन्हा)

संयुक्त सांचेव (आंभे.)

(बी. सी. निगम)

विशेष सांचेव

(एस० के० शतपथी)

प्रधान सांचेव

क्र.	कार्यालय का नाम	जिला		प्रखण्ड	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति का प्रसंग	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	मार्च 2012 तक का व्यय	वित्तीय वर्ष 2012-13 में आवंटन			अभ्युक्ति
									पूर्व का आवंटन	वर्तमान आवंटन	कुल आवंटन	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	लघु सिंचाई प्रमंडल, सरायकेला	सरायकेला	1	राजनगर	रुतुडीह नाला पर श्रृ. चेकडैम	47/07.03.11	120.560	0.000	0.00	140.00	140.00	
			2	सरायकेला	धतकीडीह नाला पर श्रृ. चेकडैम	47/07.03.11	110.562	0.000				
			3	ईचागढ़	सीतानाला पर श्रृ. चेकडैम	47/07.03.11	137.698	9.820				
योग							368.820	9.820	0.00	140.00	140.00	
3	लघु सिंचाई प्रमंडल, खूँटी	खूँटी	1	खूँटी	बिनगुरुआ नाला पर श्रृ. चेकडैम	47/07.03.11	110.394	0.000	0.00	36.50	36.50	
			2	खूँटी	बेलाहाती नाला पर श्रृ. चेकडैम	47/07.03.11	94.790	21.807				
			3	खूँटी	सोसो टोली नाला पर चेकडैम का निर्माण	47/07.03.11	31.911	0.000				
			4	खूँटी	बर टोली नाला पर चेकडैम का निर्माण	47/07.03.11	31.150	14.842				
			5	मूरहू	छाता नाला पर चेकडैम का निर्माण	47/07.03.11	30.672	19.581				
			6	खूँटी	राय नाला पर चेकडैम का निर्माण	47/07.03.11	30.466	14.970				
			7	खूँटी	फूदी नाला पर चेकडैम का निर्माण	47/07.03.11	31.703	21.526				
			8	अड़की	बाले बाँध पर चेकडैम	47/07.03.11	24.460	1.522				
			9	अड़की	पैरा नाला पर चेकडैम	47/07.03.11	23.063	18.123				
			10	तोरपा	रोरो नाला पर चेकडैम का निर्माण	47/07.03.11	34.439	2.084				
			11	तोरपा	कसरागड़ा नाला पर चेकडैम का निर्माण	47/07.03.11	33.704	7.986				
			12	कर्रा	परसागड़ा नाला पर चेकडैम का निर्माण	47/07.03.11	41.888	15.671				
			13	तोरपा	तिरिलपिड़ी नाला पर चेकडैम का निर्माण	47/07.03.11	40.299	1.886				
योग							558.939	139.998	0.00	36.50	36.50	
4	लघु सिंचाई प्रमंडल, लोहरदगा	लोहरदगा	1	सेन्हा	केराझरियो श्रृ. चेकडैम	47/07.03.11	141.220	0.000	0.00	150.00	150.00	
			2	सेन्हा	काजरहाट नाला पर श्रृ. चेकडैम	47/07.03.11	123.290	0.000				
			3	कुड़	सपाही नाला पर श्रृ. चेकडैम	47/07.03.11	147.927	0.000				
योग							412.437	0.000	0.00	150.00	150.00	
सकल योग							3689.660	249.818	0.00	526.50	526.50	
आवंटित राशि - ₹ पाँच करोड़ छबीस लाख पचास हजार मात्र।												

(ओंकार नाथ)
सहायक अभियंता

(जयप्रकाश भट्टाचार्या)
उपसचिव (अभि.)

(सुबोध कुमार सिन्हा)
संयुक्त सचिव (अभि.)

(बी. सी. निगम)
विशेष सचिव

(एस० के० शतपथी)
प्रधान सचिव

230
16-3-13